प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/201717/ETW/ETAWAH/1050/CFO
दिनांक: 02-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUDITI GLOBAL ACADEMY, 331,332,VICHARPUR NH-2, AGRA ROAD, ETAWAH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **331, 332,VICHARPUR NH-2, AGRA ROAD,,ETAWAH** तहसील - **ETAWAH** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	11.31 mt.
BLOCK C	3	0	11.31 mt.

तथा प्लाट एरिया **28150.80 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SUDITI GLOBAL ACADEMY, 331,332,VICHARPUR NH-2, AGRA ROAD, ETAWAH** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **06-06-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MAYANK YADAV,** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal ofFire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-06-2026** से **05-06-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

Note : AS PER FSSO REPORT-भवन के सैटबैक के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07.01.2022 के अनुसार छूत प्रदान की जाती है । व शासनादेश दिनांक-07.01.2022 व एनवीसी 2016 का अक्षरतः पालन किया जायें।भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड अग्निशमन विभाग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । भवन में निकास / प्रवेश द्वार को हमैशा अवरोध मुक्त रखा जायें । भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अकार्य़शील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
SATYENDRA PRASAD PANDEY
A31E6C4964D3209AC40D676A58ECFB565002BE76
06-06-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-06-2026
स्थान : ETAWAH

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.